



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253355
CG-DL-E-23032024-253355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 1471]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1540(अ).— केन्द्रीय सरकार, पौधा किसम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना का.आ. संख्याक 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्याक 172 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“173.	कोकम (गार्सिनिया इंडिका चोइसी)	कोकम	कोकम
174.	नींबू (सिट्रस लिमोन (एल) बर्न एफ)	नींबू	नींबू
175.	पम्मेलो (साइट्रस मैक्सिमा (जे बर्न) मेर)	पम्मेलो	पम्मेलो
176.	लिलियम (लिलियम एसपी. ओरिएंटल, एशियाटिक, एलए)	लिलियम	लिली

	हाइब्रिड्स तथा ओटी हाइब्रिड्स)		
177.	जैस्मिन (जैस्मिन एसपीपी.)	जैस्मिन	मोगरा
178.	अश्वगंधा (विथानिया सोन्हीफेरा (एल.) दुनल)	अश्वगंधा	अश्वगंधा
179.	ओलिव (ओलिया यूरोपिया एल.)	ओलिव	जैतून
180.	एंथूरियम (एंथूरियम एंड्रिएनम)	एंथूरियम	राजहंस"

[फा. सं. 2-9/2008-एसडी.V]

पंकज यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. संख्याक 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्याक 2221 (अ), तारीख 18 मई, 2023, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 172 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“173.	Kokum (<i>Garcinia indica</i> Choisy)	Kokum	Kokum
174.	Lemon (<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.)	Lemon	Nimbu
175.	Pummelo (<i>Citrus maxima</i> (J. Burm.) Merr.)	Pummelo	Pummelo
176.	Lilium (<i>Lilium</i> sp., Oriental, Asiatic, LA Hybrids and OT Hybrid)	Lilium	Lily
177.	Jasmine (<i>Jasminum spp.</i>)	Jasmine	Mogra
178.	Ashwagandha (<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal)	Ashwagandha	Ashwagandha
179.	Olive (<i>Olea europaea</i> L.)	Olive	Jaitoon
180.	Anthurium (<i>Anthurium andraeanum</i>)	Anthurium	Rajhansh”.

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

PANKAJ YADAV, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and was last amended *vide* S.O. 2221(E), dated 18th May, 2023.